



डिकेटेड फ्रेट कोरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.

आरत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम  
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited

A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise

New Delhi: 27.12.2022

No. 2022/HQ/Admin/RTI-1529


Competent Authority  
Additional District Magistrate  
Land Acquisition Office,  
Joint Organization  
Meerut  
UP

**Subject: Providing information w.r.t. Original RTI Application received under the RTI Act 2005.**

Reference: RTI application of Sh. Gajendra Singh.

Enclosed please find an RTI application received from Sh. Gajendra Singh transferred under Section 6(3) of RTI Act 2005 to your office.

Information on points pertaining to your office may please be provided to the applicant directly under intimation to this office.



(S.K. Panda)  
JGM/Admn.(CPIO)  
Mob.-9717636811  
E-mail: skpanda@dfcc.co.in

Sh. Gajendra Singh  
Village-Dilwara Palace  
Rohata Road  
Meerut  
Mobile-8077584795

For information



डेडिकेटेड फ्रेट कॉरियर्स लिमिटेड

पत्रांक—एम०टी०सी० / ई०एन० / आर०टी०आई० / गांग—VIII

डेडिकेटेड फ्रेट कॉरियर्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड  
संघीय संस्थान (वैत संसाधन) का संस्थान  
(A Government of India Enterprise)  
Office: 3<sup>rd</sup> Floor, Shri Bala Complex, (Opp. Subharti University), Ved  
Vyaspur, By Pass Road, NH-58, Meerut-250002, Telefax: 121-2439040

दिनांक— 21.12.2022

जे.जी.एम. / एडमिन (सीपीआईओ)

डी.एफ.सी.सी.आई.एल.

नई दिल्ली।

विषय:- जनसूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- श्री देवेन्द्र सिंह, लोकेन्द्र सिंह व सतेन्द्र सिंह पुत्रगण स्व० भौराज रिह निवासी ग्राम— दिलावरा, जिला— मेरठ द्वारा प्रेषित सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में इस कार्यालय को प्राप्त प्रार्थना पत्र दिनांक 06.12.2022.

क्र० सं०	चाही गयी सूचना	उपलब्ध करायी जा रही सूचना
1	आवेदनकर्तागण के द्वारा डी० एफ० सी० सी० आई० एल० परियोजना के तहत ग्राम दिलावरा, जनपद— मेरठ के अन्तर्गत खसरा संख्या— 369 के अधिग्रहण से प्रभावित भू— स्वामियों की अंजित भूमि के प्रतिकर न दिये जाने का उल्लेख किया गया है। तथा उक्त अंजित भूमि का प्रतिकर दिलाने के लिये समय सूचना चाही गई है।	उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि डी०एफ०सी०सी०आई०एल० परियोजना के मेरठ जनपद अन्तर्गत की जा रही भूमि के अधिग्रहण के प्रतिकर भुगतान हेतु सक्षम प्राधिकारी/अपर जिलाधिकारी/भू०अ०/ स०सं०/ मेरठ, अधिकृत प्राधिकारी है।  अतः आवेदनकर्तागण उल्लेखित खसरा संख्या— 369 की अधिग्रहित भूमि के प्रतिकर के भुगतान के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी/अपर जिलाधिकारी/भू०अ०/ स०सं०/ मेरठ, कार्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं।

संलग्नक: आवेदन कर्ता का प्रार्थनापत्र

उप परिचयाज्ञा प्रबन्धक / विद्युत  
उप जनसूचना अधिकारी, मेरठ।

प्रतिलिपि:

- मुख्य महाप्रबन्धक / डीएफसीआईएल, मेरठ— को सूचनार्थ प्रेषित।
- जीएम / एमए / ईसी-III — को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- जे.जी.एम / एमए / ईसी-II — को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।